राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 474/2024

हुकमा राम —अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
4. जिला कलक्टर, भू—अभिलेख, जैसलमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 23.02.2024
आदेश की दिनांक :

<u>उपस्थित —</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद शंकर अग्रवाल, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पटवार मंडल गौरख्या तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा में अस्थाई रूप से दिनांक 10.10.2017 (अनुलग्नक—2) को हुई थी। प्रशिक्षण उपरान्त प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2018 (अनुलग्नक—3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थाई पदस्थापन करेड़ा किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.12.2022 (अनुलग्नक—4) के द्वारा जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 21.11.2022 की अनुपालना में अपीलार्थी को भीलवाड़ा से पटवार मंडल सदापुर तहसील राजाखेडा, धौलपुर के लिए दिनांक 15.12.2022 को कार्यमुक्त किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 28.12.2022 (अनुलग्नक—5) के द्वारा अपनी उपस्थिति दी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.02.2023 (अनुलग्नक—6) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाकर अपनी उपस्थिति जिला कलक्टर, जैसलमेर के कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिला कलेक्टर, जैसलमेर के आदेश दिनांक 14.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन पटवार मण्डल लूणा कल्ला के रिक्त पर किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक

22.03.2023 (अनुलग्नक–7) को तहसीलदार पौकरण, जिला जैसलमेर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.02.2023 (अनुलग्नक–8) के द्वारा अपीलार्थी को पटवारी से वरिष्ठ पटवारी के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल स्वामी की ढाणी तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर में 500 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक कारण के सेवा नियमों के विपरीत जाकर लगभग डेढ वर्ष में ही तीन बार स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का संपूर्ण परिवार अपीलार्थी पर ही आश्रित है, जिससे अपीलार्थी का परिवार भी भयंकर रूप से प्रभावित हो रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2024 को अपास्त किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवारी के पद पर पटवार मंडल, लूणा कलां, पोकरण, जैसलमेर से पटवार मंडल स्वामी की ढाणी तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर में स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर किया गया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has*

no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 500 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
7. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्‌घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)